मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 9-11/2017/नियम/चार　　　　　　　　भोपाल, दिनांक 2 मई, 2018

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- राष्ट्रीय पेंशन योजना (**NPS**) अंतर्गत राज्य के शासकीय सेवकों के **PRAN(Tier1)** खाते में जमा राशि के आंशिक प्रत्याहरण हेतु निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया ।

—•—

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-11/2017/नियम/चार, दिनांक 16 जनवरी, 2018 की कंडिका 3-(ब) में विशेष परिस्थितियों में संचित पेंशन धन राशि से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पी.एफ.आर.डी.ए.) द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11 मई, 2015 के अनुसार आंशिक प्रत्याहरण किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं । पी.एफ.आर.डी.ए. द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त, 2017 द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अंतर्गत निकास एवं प्रत्याहरण) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017 जारी किया गया है । उक्त संशोधन व भविष्य में पी.एफ.आर.डी.ए. द्वारा समय-समय पर जारी किए गए संशोधन मध्य प्रदेश शासन के शासकीय सेवकों एवं स्वशासी संस्थाओं के सेवकों हेतु यथावत लागू होंगे ।

2/ पी.एफ.आर.डी.ए. द्वारा आंशिक प्रत्याहरण हेतु ज्ञाप क्रमांक पीएफआरडीए/2016/7/Exit/2, दिनांक 21-3-2016, पीएफआरडीए/2016/7/Exit/2, दिनांक 24-10-2016 तथा अन्य ज्ञाप पीएफआरडीए/2018/40/Exit, दिनांक 10-1-2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुक्रम में आंशिक प्रत्याहरण की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

(1) अभिदाता द्वारा आंशिक प्रत्याहरण हेतु एन.एस.डी.एल. की वेबसाईट (http://www.cra-nsdl.com) पर ऑन-लाईन आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा ।

2/5/18

इसके लिये अभिदाता को एन.एस.डी.एल. की वेबसाईट पर स्वंय के आई.डी. तथा पासवर्ड से आवश्यक प्रविष्टियाँ करते हुए, बैंक विवरण त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में आवश्यक संशोधन के साथ ऑन-लाईन आवेदन प्रस्तुत (Submit) करना होगा । ऑन-लाईन आवेदन प्रस्तुत करते ही संबंधित कोषालय अधिकारी को प्राधिकृत किये जाने हेतु आवेदन अग्रेषित हो जाएगा । तदोपरांत अभिदाता द्वारा आंशिक प्रत्याहरण हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र (Form: 601 PW) में आवश्यक प्रविष्टियाँ (जिसमें आंशिक आहरण की सीमा तथा कारण भी सम्मिलित होगा) करते हुए वांछित सहपत्रों व अपने हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान सहित, निर्दिष्ट स्थान पर आहरण एवं संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर व पदमुद्रा पश्चात् संबंधित कोषालय अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) आवेदन अग्रेषण की स्थिति कोषालय अधिकारी के लॉगिन पर प्रदर्शित होगी एवं कोषालय अधिकारी प्राप्त ऑन-लाईन आवेदन को नियमानुसार (आंशिक प्रत्याहरण हेतु आवेदित राशि, कारण तथा आवेदन के साथ प्राप्त आवश्यक अभिलेख आदि) परीक्षण कर एन.एस.डी.एल. की वेबसाईट पर मेकर के रूप में ऑन-लाईन सत्यापित (Verify) व चेकर के रूप में अनुमोदित (Authorize) करेंगे ।

(3) यह कार्यवाही अधिकतम तीन कार्य दिवसों में कोषालय अधिकारी द्वारा संपादित की जाएगी । कोषालय अधिकारी के सफलतापूर्वक ऑन-लाईन अनुमोदन के पश्चात आंशिक प्रत्याहरण की राशि चार दिवस में अभिदाता के बैंक खाते में अन्तरित हो जाएगी, जिसकी जानकारी अभिदाता द्वारा स्वयं अपने बैंक खाते व **PRAN(Statement of Transactions)** से प्राप्त की जा सकेगी ।

(4) कोषालय अधिकारी द्वारा अभिदाता से प्राप्त ऑन-लाईन आवेदन तथा संलग्न अभिलेख नियमानुसार नहीं होने की स्थिति में ऑन-लाईन निरस्त (**Reject**) करते हुये, प्रकरण संबंधित अभिदाता/आहरण एवं संवितरण अधिकारी को वापस किया जा सकेगा । इस कार्यवाही हेतु भी तीन कार्य दिवसों की समय सीमा होगी ।

(5) कोषालय अधिकारी द्वारा अभिदाता से प्राप्त आवेदन प्रपत्र तथा संबंधित अन्य अभिलेख अभिलेखागार में सुरक्षित रखे जाने हेतु एन.एस.डी.एल. या एन.एस.डी.एल. अधिकृत सुविधा केन्द्रों को प्रेषित किया जाएगा ।

3/ आंशिक प्रत्याहरण के प्रयोजन, सीमाएं, आवृत्ति इत्यादि हेतु नियम निर्देश पी.एफ.आर.डी.ए. की वेबसाईट (**www.pfrda.org.in**) तथा एन.एस.डी.एल. की वेबसाईट (**https://npscra.nsdl.co.in**) पर उपलब्ध हैं ।

25/5/18

http://www.finance.mp.gov.in